



HARYANA GOVERNMENT
WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT
NOTIFICATION

6629
30/11/16

The 18th November, 2016

No. 1389-SW-(1) 2016-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (15 of 2016), the Governor of Haryana hereby appoints the following officers to be the competent authority for the purposes of carrying out the provisions of the said Act, namely:-

- (i) Sub Division Officer (Civil), City Magistrate and Tehsildar;
- (ii) Head of Department or Head of Office, in the case of a Government employee or his dependent;
- (iii) Head of the Government educational institution (school, industrial training institute, polytechnic or college) in the case of students.

Anil Kumar,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.

Dated: 22.11.2016

Dated Chandigarh
18.11.2016

Endst. No. 1389-SW-(1)2016

A copy is forwarded to Controller, Printing and Stationery Department for publishing the said notification in the Haryana Government ordinary Gazette. He is requested to send 250 spare copies of the notification to the Government.

Special Secretary,
for Principal Secretary to Government, Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.
Dated: 22.11.2016

Endst. No. 1389-SW-(1)2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Secretary to Government Haryana,
2. All the Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries to Government, Haryana.
3. All Heads of Departments in the State of Haryana.
4. All the CAs/MDs of all Boards/Corporations/Public undertakings in the State of Haryana.
5. The Commissioners Ambala, Gurgaon, Hisar and Rohtak Division.
6. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
7. The Registrar, Punjab and haryana High Court, Chandigarh.
8. All SDOs (C) in the State of Haryana.
9. The Registrars of all the Universities in the State of Haryana.

Special Secretary,
for Principal Secretary to Government, Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.

PS TE
29-11-16

DG TE (Geny)
18.11.2016

1/12/16

AD/Sec

PS/DG

AD (P/S) / JD (A-I) / JD (HSTes)
Be put on website
BLET
D (Mohinder)

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 2016

क्रमांक:1389-एस0डब्ल्यू0-(1)2016 हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (2016 का 15), की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वित करने की धारा के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने, अर्थात्:-

- (i) उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), नगराधीश तथा तहसीलदार;
- (ii) सरकारी कर्मचारी या उसके आश्रित की दशा में विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष,
- (iii) विद्यार्थियों की दशा में राजकीय शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहुतकनीकी तथा महाविद्यालय) का मुखिया।

दिनांक चण्डीगढ़
18.11.2016

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

पृ० क्रमांक 1389-एस0डब्ल्यू0-(1)2016

दिनांक 22.11.2016

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को यह अधिसूचना हरियाणा सरकार के राज पत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजी जाती है। उनसे अनुरोध है कि इसकी 250 प्रतियां इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।


विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

पृ० क्रमांक 1389-एस0डब्ल्यू0-(1)2016

दिनांक 22.11.2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
3. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में।
4. मुख्य प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, सभी सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशाही संस्थाएं, हरियाणा राज्य में।
5. मण्डल आयुक्त, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक।
6. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
7. रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
8. सभी उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा राज्य में।
9. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य में।


विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।